न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 59/2008

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. धन्ना वगैरह		1. सवाईसिंह वगैरह

उपस्थितिः—

1. श्री जूंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रति0 संख्या 1 व 2

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

—:आदेशः— दिनांक 11.06.2019

1. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त वाद ग्राम आकेली के वर्तमान खसरा नंबर 125, 132/1 से 132/4, 134, 139/1 से 139/4, 143 की भूमि के संदर्भ में विभाजन और निषेधाज्ञा का पेश किया है। इसी कृषि भूमि के संबन्ध में उपरोक्त प्रतिवादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय में दिनांक 07—08—12 को वाद संख्या 99/12 वर्तमान में 72/13 पेश किया हुआ है, साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन संख्या 84/13 पेश किया हुआ है, जिसमें दिनांक 07—08—12 को अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की हुई है, जो अब तक प्रभाव में है। उपरोक्त वाद की पेशी दिनांक 09—12—15 को नियत है। इस प्रकार समान पक्षकारों के बीच में, समान भूमि का वाद पहले से ही श्रीमान के न्यायालय में लंबित है, जिसमें उपरोक्त वाद के वादी द्वारा जवाबदावा एवं जवाब पूर्व में पेश कर दिया गया है ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती वाद विधिनुसार पोषणीय नहीं है और पूर्व वादके निर्णय तक पश्चातवर्ती वाद की सुनवाई को स्टे किया जाना न्यायसंगत है, जिस हेतु आवेदन पेश किया जा रहा है। एक ही भूमि के संदर्भ में अलग—अलग वाद होने से विरोधाभाषी निर्णय होने की संभावनाएं रहती है। चूंकि उपरोक्त वाद द्वारा पूर्ववर्ती लम्बित वाद में जवाबदावा के साथ काउण्टर क्लेम भी पेश कर सकते थे और उपरोक्त वाद में चाहा गया अनुतोष की मांग कर सकते थे, लेकिन जान—बूझकर मुकदमेंबाजी बढ़ाने की नियत से अलग से उपरोक्त वाद पेश किया है, जो विधिवत् रूप से पोषणीय नहीं है। विकल्पेन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 यह भी निवेदन करते है कि उपरोक्त वाद को स्टे नहीं किए जाने की अवस्था में पूर्ववर्ती वाद के साथ समेकित अर्थात् कंसोलिडेट किया जावे ताकि अलग—अलग निर्णय आने की सम्भावना समाप्त हो जावे एवं एक ही सुनवाई के तहत दोनों वादों का विधिपूर्ण निस्तारण हो, यही विधि की मंशा है। इस कारण से भी उपरोक्त आवेदन स्वीकार योग्य है। पूर्व में लंबित वाद की जानकारी वादीगण को पूर्णतया है, क्योंकि उपरोक्त वाद पेश करने से पूर्व पूर्ववर्ती लंबित वाद में उपरोक्त वादीगण ने बतौर प्रतिवादीगण जवाबदावा एवं जवाब पेश किये है, फिर भी पूर्व वाद के संपूण्र तथ्यों को छीपाते हुए उपरोक्त वाद पेश किया है। आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमावें तथा उपरोक्त वाद को पूर्ववर्ती वाद के निर्णय तक स्टे किया जावे विकल्पेन पूर्ववर्ती वाद के साथ समेकित अर्थात कंसोलिडेटेड किये जाने बाबत आदेश पारित फरमावें।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

2. वादी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादीगण की ओर से प्रस्तुत करने का कथन सही है साथ ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में खातेदारी की घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तत होने तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने का कथन भी सही है परन्तु पूर्व संस्थित वाद एवं हाजा वाद के वादकारण अलग–अलग है। हाजा वाद बंटवाड़ा बाबत प्रस्तुत है जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। पूर्व संस्थित वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिस वाद का वादोत्तर एवं जवाब प्रस्तुत कर वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया गया है साथ ही दोनों वादों के वाद कारण अलग होने से हाजा वाद पोषणीय हैं। जिससे हाजा वाद की सुनवाई को कानूनन स्टे किया जाना न्याय संगत नहीं है। जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अलग–अलग वादों में विरोधाभाषी निर्णय होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि दोनों वादों में रिलीफ अलग अलग है। पूर्व संस्थित वाद में काउंटरक्लेम बंटवाड़ा बाबत प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है। हाजा वाद मुकद्दमेंबाजी बढ़ाने बाबत पेश नहीं किया गया है। परन्तु विधि के प्रावधानों के अनुसार सह–खातेदारों द्वारा बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे हाजा वाद में चाही गई रिलीफ प्रदान करने में कोई विधिक बाधा नहीं है जिससे भी वाद वादीगण कानूनन चलने योग्य है।हाजा वाद की कार्यवाही को स्टे किए जाने बाबत कोई विधिक प्रावधान नहीं है साथ ही हाजा वाद को पूर्व संस्थित वाद के साथ समेकित (कंसोलिडेट) किया जाना कतई आवश्यक नहीं है। जवाबदावा एवं जवाब पेश करने का कथन सही है परन्तु पूर्व वाद के तथ्यों को छुपाने का कथन सरासर गलत होने से अस्वीकार है। हाजा प्रार्थना–पत्र वाद को लम्बा करने के आशय से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. बहस प्रार्थना–पत्र उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि दोनों दावों में पक्षकार एक समान, वादग्रस्त भूमि एक समान तथा जिस न्यायालय में वाद विचाराधीन है वह न्यायालय भी एक ही है। जवाबदावा में प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम पेश कर सकते है। दोनों वाद अलग अलग चलने पर दोनों की डिकी अलग अलग आयेगी। कॉज ऑफ एक्शन वादी कह रहे है कि अलग है। इस संबन्ध में 2009 वॉल्यम 2 डीएनजे पेज 1055 तथा 2016 वॉल्यम 3 डीएनजे पेज 1199 का अवलोकन करावें। पूर्व में दर्ज मुकद्दमें के निस्तारण होने तक इस विचाराधीन वाद को स्टे करावें।

5. विद्वान अभिभाषक वादी ने बहस के जवाब में निवेदन किया कि मेरा कॉज ऑफ एक्शन तब आया जब इन्होंने मुझे काश्त नहीं करने दिया। दोनों वाद में वाद बिन्दु एक समान नहीं होगें। इसलिए साक्ष्य भी अलग अलग होगी। इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने डीएनजे 2018(राज0) पेज 318 एवं सी. जे. (सिविल) 2019 (1) पेज 241 की नजीरें प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया तथा पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत राजस्व वाद 72/2013 अनवान सवाईसिंह वगैरह बनाम मृ0 चिमना के वारिसान वगैरह का अवलोकन किया गया। राजस्व वाद संख्या 72/2013 अंतर्गत धारा 88,89,91,92ए,188 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का दर्ज आधा हिस्सा का वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण का

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने की रिलीफ चाही गई है। इस विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 611/2015 धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955 के तहत प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारों के बीच में उनके हिस्से अनुसार बंटवाड़ा चाही गया है। इस प्रकार वाद संख्या 72/2013 में वाद संख्या 611/2015 के खातेदारी को चैलेंज कर खातेदारी अधिकार वादीगण द्वारा चाहे गये है। यदि बंटवाड़ा होता है तो घोषणा का दावा प्रभावित होता है। खातेदारी की घोषणा के वाद में प्रतिवादीगण काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर सकते है। खातेदारी अधिकारी को चैलेंज कर देने से बंटवाड़ा के वाद को स्टे किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 611/2015 अनवान धन्ना वगैरह बनाम सवाईसिंह वगैरह की आगामी कार्यवाही को राजस्व वाद संख्या 72/2013 अनवान सवाईसिंह वगैरह बनाम मृ0 चिमना के वारिसान वगैरह में अंतिम निर्णय होने तक रोका जाता है। राजस्व वाद संख्या 611/2015 की पत्रावली को राजस्व वाद संख्या 72/2013 के साथ अंतिम निर्णय होने तक रखा जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner